

# राजीव गांधी विश्वविद्यालय

(भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)

रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश - ७९१११२, भारत



## अनिवार्य प्रकटीकरण

२०२३-२०२४

(भाग-डी)

ई-शासन

4.1. वह भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है [एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]

4.1.1. अंग्रेज़ी

दस्तावेज़ों और उनकी भाषाई प्रस्तुति का विवरण नीचे दिया गया है:

दस्तावेज़/रिपोर्ट आदि	अंग्रेज़ी	हिंदी
आरजीयू वेबसाइट	हाँ	हाँ
आरजीयू अधिनियम 2016 और क़ानून	हाँ	नहीं
सभी अध्यादेश	हाँ	हाँ
आरटीआई मैनुअल/हैंडबुक	हाँ	नहीं
ईसी/एसी/एफसी/अन्य समितियों के कार्यवृत्त	हाँ	नहीं
प्रवेश बुलेटिन	हाँ	नहीं
पत्र/कार्यालय आदेश/निर्देश आदि	हाँ	हाँ

4.1.1. स्थानीय/स्थानीय भाषा

ऊपरोक्त अनुसार

4.2. सूचना मैनुअल/हैंडबुक को आखिरी बार कब अद्यतन किया गया था? [एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]

वार्षिक अद्यतनीकरण की अंतिम तिथि

अद्यतनीकरण की अंतिम तिथि 01 जुलाई 2024 थी

4.3. जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है [धारा 4(1)(बी)(xiv)]

4.3.1. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण

1. विश्वविद्यालय की अंग्रेज़ी वेबसाइट (<https://rgu.ac.in/>), और हिंदी वेबसाइट (<https://rgu.ac.in/?lang=hi>) जनता के साथ संचार के एक चैनल के रूप में कार्य करती है। नीति निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में।
2. सभी अध्यादेश अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में प्रस्तुत किए गए हैं और <https://rgu.ac.in/act- Ordinances/> पर उपलब्ध हैं।

3. अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आरटीआई अधिनियम - <https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/> पर उपलब्ध है।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.rgu.ac.in](http://www.rgu.ac.in)) में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निम्नलिखित के संबंध में जानकारी शामिल है एका संगठन के बारे में बी। दृष्टि और लक्ष्य सी। अधिनियम और अध्यादेश
  - a. संगठन के बारे में
  - b. दृष्टि और लक्ष्य
  - c. अधिनियम और अध्यादेश
  - d. महत्वपूर्ण दस्तावेज
  - e. संगठनात्मक चार्ट
  - f. वैधानिक निकाय - ईसी, एसी, एफसी, सीडीसी, सलाहकार समिति और सभी वैधानिक निकाय सदस्य और बैठक के कार्यवृत्त
  - g. विश्वविद्यालय के विभाग के सदस्य
  - h. शैक्षणिक
  - i. प्रकाशनों
  - j. जपरियोजनाओं
  - k. घटनाक्रम और गतिविधियों का नियमित अद्यतन
  - l. सभी स्कूल और विभाग (प्रत्येक विभाग का एक अलग वेबपेज होता है जिसमें विभाग के बारे में सारी जानकारी होती है) और संस्थान और केंद्र
  - m. विभिन्न प्रकोष्ठ एवं समितियाँ
  - n. एनएएसी-एसएसआर, और एनआईआरएफ
  - o. अलमुनि
  - p. अधिनियम, क़ानून और नीतियां
  - q. आरक्षण रेस्टर/रजिस्टर
  - r. प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी
  - s. आईक्यूएसी सेल
  - t. अनुसंधान सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे
  - u. चल रहे प्रवेश, परीक्षाओं, परिणामों के संबंध में जानकारी
  - v. भर्तियाँ
  - w. सूचनाएं
  - x. विश्वविद्यालय प्रकाशन, प्रपत्र, निर्देशिका
  - y. निविदाएं और कोटेशन
  - z. जेड समय-समय पर अद्यतन की जाने वाली कोई अन्य जानकारी

#### 4.3.2. दस्तावेज़/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक

ऊपरोक्त अनुसार

#### 4.3.3. स्थान जहां उपलब्ध है

उपरोक्त सभी जानकारी वेबसाइट [www.rgu.ac.in](http://www.rgu.ac.in) पर विभिन्न शीर्षकों/उपशीर्षकों/टैबों के अंतर्गत उपलब्ध है।

#### 4.4. जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण[धारा4(1)(बी)(xv)]

##### 4.4.1. सुविधाओं का नाम और स्थान

विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

- i. इंटरनेट सुविधाएं
- ii. अद्यतन वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्ट, वित्त रिपोर्ट, प्रवेश प्रॉस्पेक्टर, आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर, आरटीआई सूचना मैनुअल, आरजीयू प्रकाशन, अधिनियम और नीतियां, नियम और विनियम, खरीद आदेश, महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, ई-प्रिंट संसाधन और अन्य मैनुअल की सॉफ्टकॉपी हो सकती है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है
- iii. आरटीआई सेल
- iv. आरटीआई मैनुअल वेबसाइट पर अपलोड किया गया
- v. विश्वविद्यालय ने सभी हितधारकों की सुविधा के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट ([www.rgu.ac.in](http://www.rgu.ac.in)) पर अधिकतम जानकारी अपडेट की है। सुओ-मोटो घोषणा के अंतर्गत आने वाले रिकॉर्ड यूनिवर्सिटीवेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों की हार्ड प्रतियां अनुभाग प्रमुखों/एचओडी और संबंधित विभागों/शाखाओं/अनुभागों/केंद्रों के पास उपलब्ध हैं, और आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार हो सकती हैं।
- vi. विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। हालाँकि, कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है
  - a. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक पाठ्यक्रम - संयुक्त रजिस्ट्रार (शैक्षणिक/सम्मेलन) / संकायों के डीन / संबंधित विभाग प्रमुख (एचओडी) / केंद्रों के निदेशक
  - b. प्रवेश और प्रवेश संबंधी- (शैक्षणिक/सम्मेलन) / संकायों के डीन / संबंधित विभाग प्रमुख (एचओडी) / केंद्रों के निदेशक

- c. परीक्षा - परीक्षा नियंत्रक (सीओई) / संयुक्त रजिस्ट्रार (परीक्षा) / एआर (परीक्षा)
  - d. भर्ती- रजिस्ट्रार / डीआर (प्रतिष्ठान) / एआर (प्रतिष्ठान)
  - e. खरीद- रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार (वित्त)/संपदा अधिकारी/संयुक्त निदेशक (सीसी)
  - f. निर्माण कार्य- रजिस्ट्रार/कार्यकारी अभियंता
  - g. वित्तीय मामले - वित्त अधिकारी / संयुक्त रजिस्ट्रार (वित्त) / एआर (वित्त) और डीडीओ
  - h. पुस्तकालय-पुस्तकालयाध्यक्ष
- 4.4.1. जानकारी का विवरण उपलब्ध कराया गया

जैसा ऊपर बताया गया है और जैसा कि मैनुअल के पिछले अनुभागों/भागों में बताया गया है

#### 4.4.2. सुविधा के कार्य घंटे

1. कार्य के घंटे: - विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग और प्रशासनिक कार्यालय केंद्र सरकार के कार्य समय पैटर्न के अनुसार सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक कार्य करते हैं। सामान्य कामकाजी घंटे सुबह 9.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक हैं। गर्मियों में (अप्रैल से मध्य अक्टूबर) और सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे तक सर्दियों में (मध्य अक्टूबर से मार्च के अंत तक)

2. पुस्तकालय कार्य समय: प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक। (सभी कार्य दिवस): पुस्तकालय सुविधा (केवल पढ़ने के लिए) जनता के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति लाइब्रेरियन की अनुमति से लाइब्रेरी का दौरा कर सकता है और सभी कार्य दिवसों पर वाचनालय सुविधा का उपयोग कर सकता है। <https://rgu.ac.in/news/> .

#### 4.4.3. संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैंक्स ईमेल)

विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/>

<https://rgu.ac.in/employee-details/>

#### 4.5. ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i)(b)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है

##### 4.5.1 शिकायत निवारण तंत्र

विश्वविद्यालय अपने मजबूत सार्वजनिक शिकायत कक्ष के माध्यम से विभिन्न हितधारकों और आम जनता की विभिन्न शिकायतों की निगरानी और समाधान कर रहा है। विश्वविद्यालय शिकायत कक्ष केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत काम कर रहा है, जो शीघ्र निवारण के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से एनआईसी

द्वारा विकसित एनआईसीएनईटी पर एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों की प्रभावी निगरानी।

आम तौर पर, शिकायतें या तो ऑनलाइन पोर्टल यानी सीपीजीआरएम या ऑफलाइन (पोस्ट/ईमेल के माध्यम से) आदि पर प्राप्त होती हैं एक बार शिकायत प्राप्त होने के बाद उसे इनपुट/उत्तर प्रदान करने के लिए संबंधित शाखा/कार्यालय को भेज दिया जाता है यदि आवश्यक हो तो शिकायतों की जांच के लिए एक समिति भी गठित की जाती है। संबंधित कार्यालय/शाखा से प्राप्त उत्तर या समिति की सिफारिशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद शिकायत का निपटारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय ने अपने हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित समितियों/प्रकोष्ठों की भी स्थापना की:

- आंतरिक शिकायत समिति
- सलाहकार समितियाँ
- एससी-एसटी सेल
- अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
- ओबीसी सेल
- प्रवेश निगरानी और शिकायत निवारण समिति

जानकारी निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत ऑनलाइन उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/public-grievances-cell/>

<https://rgu.ac.in/internal-complaint-committee/>

<https://rgu.ac.in/advisory-committees/>

<https://rgu.ac.in/sc-st-cell/>

<https://rgu.ac.in/minority-cell/>

<https://rgu.ac.in/obc-cell/>

[https://rgu.ac.in/wp-content/uploads/2022/01/Committee-notification-5.01.2022\\_0001.pdf](https://rgu.ac.in/wp-content/uploads/2022/01/Committee-notification-5.01.2022_0001.pdf)

<https://rgu.ac.in/wp-content/uploads/2022/08/circular-regardingadmission.pdf>

4.5.1. आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों एवं उपलब्ध करायी गयी जानकारी का विवरण

त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना. परिशिष्ट - 6 लिंक: <https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/>

4.5.2. पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है: <https://rgu.ac.in/projects/>

4.5.3. चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है: <https://rgu.ac.in/projects/>

4.5.4. ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण

विवरण वेबसाइट पर लिंक के तहत उपलब्ध है: <https://rgu.ac.in/tender/>

4.5.5. वार्षिक रिपोर्ट

वेबसाइट <https://rgu.ac.in/annual-reports/> पर उपलब्ध है

4.5.6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएव्यू)

वेबसाइट पर उपलब्ध है

<https://admissions.rgu.ac.in/>

<https://rgu.ac.in/FAQS/>

4.5.1. कोई अन्य जानकारी जैसे - (ए) नागरिक चार्टर, (बी) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी), (सी) वेबसाइट पर छह मासिक रिपोर्ट, (डी) नागरिक चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क के खिलाफ प्रदर्शन

विवरण	Weblink
नागरिक चार्टर	
परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी),	
वेबसाइट पर छह मासिक रिपोर्ट,	
नागरिक चार्टर में निर्धारित मानकों के विरुद्ध प्रदर्शन	

4.6. आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [F.No 1/6/2011-IR dt.15.04.2013]

4.6.1. प्राप्त एवं निस्तारित आवेदन पत्रों का विवरण

वेबसाइट <https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/> पर उपलब्ध है

4.6.2. प्राप्त अपीलों एवं जारी किये गये आदेशों का विवरण

वेबसाइट <https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/> पर उपलब्ध है

4.7. संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर[धारा 4(1)(डी)(2)]

4.7.1. पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण

रिकॉर्ड वेब लिंक में संलग्न है:

<https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/>

<https://rgu.ac.in/parliamentary-questions/>